न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 179/2019 तारीख रजू:— 15.11.2019

पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह
R.A.S.

राजेश कुमार पुत्र हरिप्रसाद जाति मीना निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत चांदनगांव तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ———————————————— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दावा बाबत् इस्तकरार हक
(इन्द्राज दुरूस्ती)

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक :— 26.07.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह सरकारी रिकार्ड में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1042 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 आबादी से तरमीम किया गया है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 में वादी की रिहायश बजमाने बुजुर्गान से हो रही है। उक्त खसरा नम्बरान का सम्पूर्ण रकबा वादी द्वारा बजमाने बुजुर्गान से चारों ओर से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल से महदूर कर पुख्ता रिहायशी निर्माण वादी के बुजुर्गान ने सेटिलमेन्ट से पूर्व से ही किये हुए हैं एवं वर्तमान में वादी अपने परिवार के साथ उक्त बाखल में रिहायश कर रहा है। जिससे अन्य किसी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 22.10.2019 को वादी अपनी रिहायश में बैठा हुआ था कि हल्का पटवारी मौके पर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारी रिहायश सरकारी भूमि है। इसलिए इसे खाली करो अन्यथा हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जिस पर वादी ने रिकार्ड की नकलें आदि एकत्रित की तब सेटिलमेन्ट द्वारा हुई रिकार्ड में गलती का पता वादी को चल पाया है। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 20.10.2019 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने एवं रिकार्ड में प्रतिवादी सं01 व 2 संशोधन कराने की इंकार करने से वमुकाम ग्राम कोडिया तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 की किस्म सिवायचक के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करें एवं उक्त आशय का अमल दरामद सम्पूर्ण रिकार्ड रेवन्यू में फरमाने बाबत् प्रतिवादी सं01 को तहरीर जारी फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए दिनांक 26.08.2019 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान , नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस साबिक, नकल जमाबन्दी सं0 2038 से 41, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश की हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत चांदनगांव, पंचायत समिति हिण्डौन सिटी जिला करौली ने लैटर पैड पर लिखकर दिया है कि प्रमाणित किया जाता है कि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह सरकारी रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है लेकिन [illegible] साबिक खसरा नम्बर 1042 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 आ[illegible] है [illegible] कि [illegible] पंचायत चांदनगांव के नाम रहा है। उक्त खसरा नम्बर में राजेश पुत्र [illegible]साद की रिहायश काफी समय से हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2021/19 दिनांक 04.01.2021 में अंकित किया है कि प्रकरण सं0 179/2019 उनवान राजेश कुमार बनाम तहसीलदार में प्राप्त रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी श्री महावीरजी ने अंकित किया है कि राजस्व ग्राम कोडिया जमाबन्दी सं0 2070-73 में दर्ज खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह अंकित है। खसरा नम्बर 1233 का साबिक खसरा नम्बर 1042 रकबा 1 बिस्वा आबादी गत जमाबन्दी सं0 2038-41 में दर्ज रिकार्ड है। मुताविक रिपोर्ट मौके पर कुआ नहीं होकर आबादी हाल खसरा नम्बर 1233 में है। अतः एल आर एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत रिपोर्ट संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी सं0 2038 से 41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1042 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम कोडिया तहसील हिण्डौन आबादी दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1042 रकबा 1 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 ग्राम कोडिया कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम कोडिया के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है। उक्त भूमि सेटिलमेन्ट से पूर्व आबादी भूमि रही है तथा सेटिलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी के स्थान पर गै0मु0 चाह दर्ज कर दी है जो गलत दर्ज की है। तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त भूमि मौके पर आबादी के उपयोग में आ रही है उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई चाह नहीं बना हुआ है। ऐसे हालात में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

भूमि की किस्म गै0मु0 चाह के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का दावा डिक्री योग्य न्यायोचित है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) डिक्री किया जाकर ग्राम कोडिया की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह के स्थान पर खसरा नं0 1233 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 आबादी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-7-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मु0 नम्बर 179/19 किस्म दावा .... राकेश कुमार उनवान [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम
२६ 7/2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में वादी की एक पक्षीय बहस समाअत किया। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरस्ती) डिक्री किया जाकर ग्राम कोडिया की विवादित आराजी ख0नं0 1233 रकबा 0.01 हे0 गै0 मु0 चाह के स्थान पर ख0नं0 1233 रकबा 0.01 हे0 गै0 मु0 आबादी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner